Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 25549
Dated 11.3.2015

LOK SABHA DEBATES

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

LOK SABHA

Monday, 2nd April, 1956

The Lok Sabha met at Half Past Ten of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

QUESTIONS AND ANSWERS

(*See* Part I)

11-32 A.M.

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

Secretary: Sir, I have to inform the House that the following Bills, which were passed by the Houses of Parliament during the current session, have been assented to by the President:

1. The Voluntary Surrender of Salaries (Exemption from Taxation) Amendment Bill, 1955,
2. The Sales-Tax Laws Validation Bill, 1956,
3. The Capital Issues (Continuance of Control) Amendment Bill, 1956,
4. The Life Insurance (Emergency Provisions) Bill, 1956, and
5. The Control of Shipping (Continuance) Bill, 1956.

PETITION *RE:* PROCEEDINGS OF LEGISLATURES (PROTECTION OF PUBLICATION) BILL

Shri T. N. Singh (Banaras Distt.-East): I beg to present a petition signed by 38 petitioners relating to the Proceedings of Legislatures (Protection of Publication) Bill, 1956.

*DEMANDS FOR GRANTS

Mr. Speaker: The House will now resume further discussion of the Demands for Grants relating to the Ministry of Rehabilitation. Out of 7 hours allotted for the Demands of this Ministry, 3 hours 19 minutes have already been availed of and 3 hours and 41 minutes now remain.

Shri Ajit Singh will now continue his speech.

श्री अजित सिंह (कपूरथला-भटिंडा-रक्षित अनुसूचित जातियां) : परसों मैं अपनी स्पीच में यह कह रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी गवर्नमेंट की जो पालिसी (नीति) रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) को फिर से बसाने की है वह बहुत अच्छी है मगर जब उसको इंप्लीमेंट (लागू) करने वाले अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं करते तो हमें इस बात को देख कर दुःख होता है। मैं आपको उनकी कुछ तस्वीर बतला रहा था कि वे किस तरह से इस काम को करते हैं। पहले हम यह पास कर चुके हैं कि जो प्रापर्टी (सम्पत्ति) दस हजार तक की होगी उसको नीलाम नहीं किया जायेगा बल्कि उसको उन्हीं लोगों को दे दिया जायेगा जो उसमें बैठे हुए हैं। उसको लेने का यह ढंग अख्तियार किया गया कि उस प्रापर्टी की कीमत का एक चौथाई से लेकर एक तिहाई तक पहले ले लिया जाये। यह रकम दो हजार से ढाई तीन हजार तक बनती ह। अगर कोई गरीब आदमी इस रकम को नहीं दे सकता तो उसे उस मकान से निकालने की तजवीजें हैं। सन् १९५०-५१ में गवर्नमेंट ने यह तय किया था कि जो उन मकानों की जमीन है उसकी कीमत साढ़े सात रुपया गज के हिसाब से लगायी जायेगी। कुछ आदमियों के साथ इस किस्म का एग्रीमेंट (करार) भी किया गया था कि वह जमीन उनको ९९ साल के लीज पर दी जायेगी और उसका किराया साढ़े ४७ रुपये सालाना के हिसाब से वसूल किया जायेगा।

* Moved with the recommendation of the President.